Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में पुलिस थाना जवाहर सर्किल का हैड कानिस्टेबल व कानिस्टेबल 3 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *04 अक्टूबर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जयपुर–प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सरदार सिंह हैड कानिस्टेबल एवं लोकेश कुमार शर्मा कानिस्टेबल पुलिस थाना जवाहर सर्किल, जयपुर शहर पूर्व, जयपुर महानगर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर–प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि महिला की गुमशुदगी रिपोर्ट में जांच कर मुकदमा दर्ज नहीं करने तथा उसे गिरफ्तार नहीं की एवज में सरदार सिंह हैड कानिस्टेबल एवं लोकेश कुमार शर्मा कानिस्टेबल पुलिस थाना जवाहर सर्किल, जयपुर शहर पूर्व, जयपुर महानगर द्वारा 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जयपुर–प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री नीरज गुरनानी** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये लोकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा निवासी ग्राम शावलियावाला, पोस्ट अणतपुरा, तहसील तूंगा, जिला जयपुर हाल कानिस्टेबल पुलिस थाना जवाहर सर्किल, जयपुर शहर पूर्व, जयपुर महानगर को परिवादी से 3 **हजार रुपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि आरोपी सरदार सिंह हैड कानिस्टेबल के कहने पर आरोपी लोकेश कुमार शर्मा कानिस्टेबल द्वारा परिवादी से पहले ही 2 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे। प्रकरण में आरोपी सरदार सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह जाट निवासी ग्राम मंगला देशवाल पोस्ट जाटोली, तहसील डीग, जिला भरतपुर हाल हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना जवाहर सर्किल, जयपुर शहर पूर्व, जयपुर महानगर को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।